



सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम-42 / 162

दिनांक 13/1/2015

विषय: निरीक्षण नोट ।

कार्य का नाम: **Additional Classrooms 29 Nos. & 40 Nos. Girls Toilet in D.O.E. Schools under S.S.A. Scheme, New Delhi during 2014-15. (SH: Civil and Electrical work (Composite works). Agreement No. : 55/EE/CBMD M-423/2014-15.**

अद्योहस्ताक्षरी ने आज दिनांक 13.01.2015 को उपरोक्त दर्शाए गए कार्य में “न्यू फ़ैण्डस कालोनी स्कूल में चालू कार्य” का कार्यपालक अभियन्ता एम-423, सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता तथा ठेकेदार के साथ निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :-

1. कार्यस्थल पर भवन सामग्री की जांच के लिए कोई भी equipment उपलब्ध नहीं था । कार्य करने के लिए ठेकेदार ने Quality Assurance Programme अभी तक जमा नहीं किया है ।
2. करार की शर्तों के अनुसार कार्य करने का कोई प्रोग्राम कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं था । कार्यपालक अभियन्ता यह सुनिश्चित करें कि करार के पेज-41 के पैरा 31.0 के अनुसार कार्य करने का विस्तृत प्रोग्राम ठेकेदार से शीघ्र प्राप्त किया जाये ।
3. इस स्कूल में फाउंडेशन में ईट की चिनाई का कार्य प्रगति पर है । ईटों की चिनाई में प्रयोग किये जाने वाले सीमेंट का मसाला बनाने के लिए कोई भी माप-बॉक्स उपलब्ध नहीं है और कंकीट मिक्सर बिना hopper के उपलब्ध है । ईट की चिनाई में अनेक स्थानों में जोड़ खाली पाए गए हैं । कार्यस्थल पर उपलब्ध कुछ ईटों की गुणवत्ता भी सही प्रतीत नहीं होती है । कार्यस्थल पर उपलब्ध रेत की गुणवत्ता सही नहीं पाई गयी ।
4. ठेकेदार ने कार्य में प्रयोग किये जाने वाले सीमेंट का जो स्टोर बनाया है वह भी करार की शर्तों के अनुसार नहीं है और सीमेंट जमीन पर ही रखा हुआ है । इसी स्टोर में अन्य भवन सामग्री भी रखी गयी है ।
5. कार्यस्थल पर ठेकेदार का कोई भी इंजीनियर उपलब्ध नहीं था । कार्यपालक अभियन्ता यह सुनिश्चित करें कि करार के Clause-36 के अनुसार Technical representative कार्यस्थल पर उपलब्ध रहें ।

कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करें कि उपर दर्शाए गए मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही करें तथा भवन सामग्री की जांचें कि ऐसा कार्य न किया जाए । कार्य में प्रयोग की जाने वाली भवन सामग्री लाने से पहले उनके नमूने अनुमोदित किए जाने के बाद ही भवन सामग्री को कार्यस्थल पर लाने दिया जाए । अद्योहस्ताक्षरी के अगले निरीक्षण में यह सुनिश्चित किया जाये कि कार्यस्थल पर अडचन रजिस्टर, टेस्ट रजिस्टर, कार्य करने का प्रोग्राम और Quality Assurance Programme उपलब्ध हो ।

कार्यपालक अभियंता यह भी सुनिश्चित करें कि यह एक कम्पोजिट टेंडर है । इसमें वैद्युत मददों के कार्य के लिए ठेकेदार करार की शर्तों के अनुसार Appropriate Agency से कार्य करवाने के लिए Associate करके कार्यपालक अभियंता (वैद्युत) से अनुमोदित कराये जिससे साथ-साथ वैद्युत कार्य भी बिना किसी बाधा के होते रहें ।



अधीक्षक अभियंता

सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
सि.भ.अनु.मं.एम-423,
सुखदेव विहार, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि :-

1 फाईल सं. 23 (64) /

